न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-443RAAJodhpur2022-167RTA223 Tagatsingh Vs Mohan Kanwar etc

तगतसिंह उर्फ तगसिंह उर्फ तखतसिंह पुत्र भैरूसिंह,
जाति राजपूत, निवासी- ग्राम बस्तवा माताजी,
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोहनकंवर पुत्री मंगलसिंह पत्नी खीवसिंह, जाति राजपूत, निवासी- भूंगरा, तहसील शेरगढ।
2. मीराकंवर पुत्री मंगलसिंह पत्नी तेजसिंह जाति राजपूत, निवासी- रायसर, तहसील शेरगढ।
3. सायरकंवर पुत्री मंगलसिंह, निवासी- ग्राम केतु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. कंवरूकंवर पत्नी गायड़सिंह
5. भवानीसिंह पुत्र गायड़सिंह
   नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कंवरूकंवर
6. गजरकंवर पत्नी नाथुसिंह
7. सांगसिंह पुत्र सुजानसिंह
8. सुमेरसिंह पुत्र सुजानसिंह
9. बाबुसिंह पुत्र सुजानसिंह
10. हिंदुसिंह पुत्र सुजानसिंह
11. रेंवतसिंह पुत्र रूपसिंह
12. गोरधनसिंह पुत्र रूपसिंह
13. फूल कंवर पत्नी रूपसिंह
14. अचलसिंह पुत्र दुर्गसिंह
15. बाबुसिंह पुत्र दुर्गसिंह
16. मदनसिंह पुत्र दुर्गसिंह
17. जवारकंवर पत्नी दुर्गसिंह
18. प्रेमसिंह पुत्र खेतसिंह
19. अमरसिंह पुत्र खेतसिंह
20. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह
21. लखसिंह पुत्र रूपसिंह
22. गुलाबसिंह पुत्र रूपसिंह
23. चनणसिंह पुत्र रूपसिंह

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

24. कानसिंह पुत्र शेरसिंह
25. जसवंतसिंह पुत्र शेरसिंह
26. लाधूसिंह पुत्र शेरसिंह
27. उदयसिंह पुत्र शेरसिंह
28. मनोहरसिंह पुत्र शेरसिंह
29. निजरकंवर पत्नी जबरसिंह
30. उमगकंवर पत्नी लिछमणसिंह
31. विशालसिंह पुत्र लिछमणसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता उगमकंवर
32. भवानीसिंह पुत्र जबरसिंह
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम बस्तवा माताजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 121/2020 मोहनकंवर व अन्य बनाम कंवरूकंवर इत्यादि

उपस्थित-

श्री के.के. गोयल अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से तीन

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तैतीस

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 10 नवंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 121/2020 मोहनकंवर व अन्य बनाम कंवरूकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

10.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 594 रकबा 4.08 बीघा, खसरा नं. 601 रकबा 2.09 बीघा, खसरा नं. 613/1 रकबा 3.07 बीघा ग्राम बस्तवा माताजी एवं खसरा नं. 293 रकबा 68.10 बीघा ग्राम बस्तवा के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06 सितंबर 2022 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी अनुपस्थिति में एकक्षीय पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रजिस्टर्ड ए.डी की डाक रसीदों को आधार मानकर अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जबकि अपीलांट नेत्रहीन है तथा उसे कभी भी नोटिस प्राप्त नही हुआ। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा घोषणा की आड़ में बंटवाड़े बाबत भी अनुतोष चाहा है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पहले प्राथमिक डिक्री जारी करनी थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी। वादीगण द्वारा अपने वाद में झूठे कथन किये गये है, क्योकि स्व. मंगलसिंह के तीन नही बल्कि चार पुत्रियां हुई, जिसमें से एक जसुकंवर है, जिनकी जायंदा औलाद बलवीरसिंह व देरावरसिंह पुत्रान कल्याणसिंह है, जिन उत्तराधिकारियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वादीगण द्वारा फर्जी तरीके से अपनी सगी बहन का हिस्सा

10-1-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने नाम करवा लिया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज रही है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा मौके पर फसल खड़ी है। वादीनीगण मौके पर निवास नहीं करती है। वादीनीगण के पिता मंगलसिंह की सेवा सुश्रुषा भैरूसिंह व उनके पुत्र तगतसिंह(अपीलांट) द्वारा की गई, चूंकि मंगलसिंह का कोई पुत्र नहीं था। साथ ही मंगलसिंह की आय का स्त्रोत न होने से स्व. मंगलसिंह की पुत्रियों का लालन पालन विवाह इत्यादि संपूर्ण खर्चे स्व. भैरूसिंह व अपीलांट द्वारा ही किये गये एवं मंगलसिंह की फौतेदगी तक उनकी सेवा की गई। इस कारण अपीलांट एवं उनके पिता की सेवा से प्रसन्न होकर मंगलसिंह अपनी तमाम चल-अचल संपति अपीलांट के पिता को प्रदत्त कर दी, उसके बाद अपीलांट व उसके पिता ने लाखों रूपये खर्च कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया और ट्यूबवेल करवाकर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया और आज दिवस तक अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। वादीनीगण ने नामांतरकरण संख्या 159 व 371 के विरूद्ध चाराजोही न कर इतनी लंबी अवधि बाद विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करवायी है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में सिविल अपील संख्या 460/1987 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.1987, रिव्यू पिटीशन संख्या 739/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2012, विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1805/2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2022, ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 2370 की न्यायिक नजीरे पेश की।

10.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर नियमानुसार सम्मनों की तामील करवायी गई है, उसके बावजूद भी अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। वादीनीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन स्व. मंगलसिंह की जायंदा पुत्रिया है, जिसे वादीनीगण द्वारा विचारण न्यायालय में बखूबी सावित किया गया है। वादीनीगण के पिता के देहांत के पश्चात अपीलांट एवं उनके पिता द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगती कर वादग्रस्त आराजीयात का नामांतरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। वादीनीगण द्वारा नामांतरकरण संख्या 349 एवं 350 के विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर के विरूद्ध अपीले पेश की गई जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2021 को स्वीकार की जाकर उक्त नामांतकरण निरस्त किये जाकर तहसीलदार बालेसर को प्रकण रिमाण्ड कर स्व. मंगलसिंह के वारिसान् के वारिसान् की जांच कर पुनः नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बालेसर द्वारा उक्त आदेशों की पालना मे दिनांक 28.03.2022 को प्रतिप्रेषित प्रकरण को स्वीकार कर वादग्रस्त आरजायात में वादीनीगण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज नामांतरकरण भरे जाने के आदेश दिये है। वादीनीगण द्वारा उक्त दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श करवाये गये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2017(1) पेज 471, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 648, आर.आर.डी. 14.01.2017 पेज 54, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. पेज 1542, आर.आर.डी. 1999 पेज 183, आर.आर.डी. 1993 पेज 90 की न्यायिक नजीरे पेश की।

10.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श-ए-3 एवं प्रदर्श-6 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 293 रकबा 68 बीघा 10 बिस्वा में वादीनीगण के पिता मंगलसिंह एवं अपीलांट के पिता का भैरूसिंह का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा खसरा नं. 594 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 601 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 613/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नं. 630 रकबा 6 बीघा वादीनीगण के पिता मंगलसिंह के नाम दर्ज रही है। स्व. मंगलसिंह की फौतेदगी पर नामांतरकरण संख्या 159 एवं 371 स्व. मंगलसिंह के जायंदा संतान न होने के आधार पर उनके भाई भैरूसिंह के नाम स्वीकृत किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्शः ए-16 दिनांक 22.08.2022 (विचारण न्यायालय की पत्रावली के पेज संख्या 55) के मुताबिक वादीनीगण द्वारा नामांतरकरण संख्या 349 एवं 350 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बालेसर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 17/2020 एवं 25/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 के मुताबिक सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा उक्त दोनो नामांतरकरण निरस्त कर स्व. मंगलसिंह के विधिक वारिसान् की जांच कर पुनः नामांतरकरण भरे जाने के निर्देश तहसीलदार बालेसर को दिये गये है। प्रदर्श ए-11 के मुताबिक तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में वादीनीगण को स्व. मंगलसिंह की विधिक वारिसान् मानते हुए खसरा नं. 789 एवं 611 में वादीनीगण के नाम से 1/2 हिस्से की भूमि बाबत नामांतरकरण स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये गये

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात के आधार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट पर तामील हेतु विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन जारी किये गये, जिनकी पोस्टल रसीदे विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः इस बावत अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नजीरे इस मामले में लागू नहीं होती है, अपितु इस संबंध में आर.आर.डी. 1993 पेज 90 में धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 19-ए(2) के प्रावधानों अनुसार सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भिजवाये गये हो तथा अनडिलीवर्ड सम्मन वापस प्राप्त नहीं हो तो सम्मन नियमानुसार तामील माना जायेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज यथा- गोदनामा, वसीयत इत्यादि पेश नहीं किये गये है, जिससे यह माना जा सके कि वादग्रस्त आराजी उक्त दस्तावेजात के आधार पर स्व. मंगलसिंह की फौतेदगी पर अपीलांट के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिए। वादग्रस्त आराजी वादीनीगण की पुश्तैनी आराजी होने से उसमें वादीनीगण का जन्म से अधिकार निहित है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं

10-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 121/2020 मोहनकंवर व अन्य बनाम कंवरश्कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 यथावत रखे जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.11.23
(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-443RAAJodhpur2022-167RTA223 Tagatsingh Vs Mohan Kanwar etc

अपीलाण्ट

तगतसिंह उर्फ तगसिंह उर्फ तखतसिंह पुत्र भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी-ग्राम बस्तवा माताजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. मोहनकंवर पुत्री मंगलसिंह पत्नी खीवसिंह, जाति राजपूत, निवासी-भूंगरा, तहसील शेरगढ।
2. मीराकंवर पुत्री मंगलसिंह पत्नी तेजसिंह जाति राजपूत, निवासी- रायसर, तहसील शेरगढ।
3. सायरकंवर पुत्री मंगलसिंह, निवासी-ग्राम केतु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. कंवरूकंवर पत्नी गायड़सिंह
5. भवानीसिंह पुत्र गायड़सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कंवरूकंवर
6. गजरकंवर पत्नी नाथुसिंह
7. सांगसिंह पुत्र सुजानसिंह
8. सुमेरसिंह पुत्र सुजानसिंह
9. बाबुसिंह पुत्र सुजानसिंह
10. हिंदुसिंह पुत्र सुजानसिंह

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुजानसिंह
11. रेंवतसिंह पुत्र रूपसिंह
12. गोरधनसिंह पुत्र रूपसिंह
13. फूल कंवर पत्नी रूपसिंह
14. अचलसिंह पुत्र दुर्गसिंह
15. बाबुसिंह पुत्र दुर्गसिंह
16. मदनसिंह पुत्र दुर्गसिंह
17. जवारकंवर पत्नी दुर्गसिंह
18. प्रेमसिंह पुत्र खेतसिंह
19. अमरसिंह पुत्र खेतसिंह
20. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह
21. लखसिंह पुत्र रूपसिंह
22. गुलाबसिंह पुत्र रूपसिंह
23. चनणसिंह पुत्र रूपसिंह
24. कानसिंह पुत्र शेरसिंह
25. जसवंतसिंह पुत्र शेरसिंह
26. लाधूसिंह पुत्र शेरसिंह
27. उदयसिंह पुत्र शेरसिंह
28. मनोहरसिंह पुत्र शेरसिंह
29. निजरकंवर पत्नी जबरसिंह
30. उमगकंवर पत्नी लिछमणसिंह
31. विशालसिंह पुत्र लिछमणसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता उगमकंवर
32. भवानीसिंह पुत्र जबरसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण-ग्राम बस्तवा माताजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर।

10.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 121/2020 मोहनकंवर व अन्य बनाम कंवरूकंवर इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 10 नवंबर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री के.के. गोयल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री गुलाबसिंह चम्पावत अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 121/2020 मोहनकंवर व अन्य बनाम कंवरूकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 10 नवंबर 2023 को जारी किया गया। 10.11.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

10.11.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर